



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)
PART II—Section 3—Sub-Section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 774] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 30, 1991/पौष 9, 1913
No. 774] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 30, 1991/PAUSA 9, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

**Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation**

श्रम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 1991

का.श्रा. 928(अ) :—कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) अधिनियम, 1989 (1989 का 29) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 35 के उपबन्धों को लागू करने की तारीख 1 जनवरी, 1992 निर्धारित करती है।

[संख्या एस 38012/6/89-एस एस-1]

शशी जैन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR**NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th December, 1991

S.O. 928(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 1 of the Employees' State Insurance (Amendment) Act, 1989 (29 of 1989), the Central Government hereby appoints the 1st January, 1992 as the date on which the provisions of section 35 of the said Act, shall come into force.

[F. No. S-38012/6/89-S.S.I]
SHASHI JAIN, Jt. Secy.